बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

विषयः–कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन हेतु नियमावली और विनियमावली एवं संगम ज्ञापन की स्वीकृति।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में सन्निहित सामाजिक बीमा के लिये उठाया गया एक एकीकृत कदम है तथा यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्णित बीमारी की स्थिति में बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

2. अद्यतन बिहार में कुल 4,11,210 संगठित क्षेत्र के कर्मियों (बीमित व्यक्तियों) एवं उनके आश्रितों को राज्य के 17 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों द्वारा बाह्य चिकित्सा, 02 ESIC आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ तथा बिहटा अस्पताल, पटना द्वारा अन्तर्वासी (Indoor) चिकित्सा एवं लगभग 50 टाई–अप चिकित्सा संस्थानों द्वारा विशिष्ट/अतिविशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अलावे ESIC द्वारा नगद हितलाभ, बीमारी (वर्धित व विस्तरित) हितलाभ, अपंगता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, प्रसूति हितलाभ, प्रसव व्यय (₹7,500/-), अन्तयेष्टि लाभ (₹15,000/-) तथा व्यवसायिक पुनर्वास भत्ता (रोजगार चोट के कारण अपंगता की स्थिति में) आदि लाभ प्रदान किये जाते हैं।

3. वर्त्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का संचालन राज्य बजट से प्राप्त राशि से किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार के कुल खर्च का 87.5% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 12.5% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि को राज्य सरकार के कोष में चालान के माध्यम से कोषागार के द्वारा जमा कराया जाता है।

4. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 58 (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ तथा चिकित्सा स्थापना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में कार्य करेगी। सोसाईटी समय–समय पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के

निदेशों तथा अधीक्षण के अध्यधीन संगम ज्ञापन के अनुसार अन्य सभी उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा।

5. कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के गठन से लाभः—

(i) वित्तीय शक्ति की स्वायत्तता उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपयोग के लिए समुचित बजट के अनुरूप राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ii) आवश्यकतानुसार चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली संविदा के आधार पर की जा सकेगी, जिससे चिकित्सालय/अस्पताल का चिकित्सा कार्य सुचारू रूप से संचालित हो पायेगा।

(iii) बीमित व्यक्तियों के औषधि खर्च प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान यथा समय दिया जा सकेगा।

(iv) राशि के उपलब्धता के पश्चात् विभिन्न स्तर माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न कर योग्य श्रमिकों के निबंधन की प्रक्रिया में तीव्रता लायी जायेगी। इससे अधिकाधिक बिहार राज्य के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जोड़ा जा सकेगा एवं बीमित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

(v) सोसाईटी के गठन से शीघ्र निर्णय ले कर जनोपयोगी मामले का निति निर्धारण किया जा सकेगा।

6. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी की स्थापना हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्थान, आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

7. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का नियमावली और विनियमावली एवं संगम ज्ञापन परिशिष्ट—'क' एवं परिशिष्ट—'ख' के रूप में संलग्न है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के संचालन, प्रबंधन एवं नीतिगत निर्णय हेतु शासी निकाय एवं कार्यकाारिणी समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाना है।

शासी निकायः

क्रमांक	विवरण	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (श्रम), बिहार सरकार	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य), बिहार सरकार	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), बिहार सरकार	सदस्य
5.	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी, बिहार	मुख्य कार्यपालक पदा०/सदस्य सचिव
6.	ई एस आई सी नामिती	सदस्य
7. से 9.	नियोक्ताओं के प्रतिनिधिगण	सदस्य
10. से 12.	कर्मचारियों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
13.	क्षेत्रीय निदेशक, ई एस आई सी, बिहार	सदस्य
14.	राज्य चिकित्सा पदाधिकारी, ई एस आई सी, बिहार	सदस्य

कार्यकारिणी समिति :

क्रमांक	विवरण	पदनाम
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (श्रम), बिहार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य), बिहार सरकार	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), बिहार सरकार	सदस्य

4	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / सदस्य सचिव
5	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिहार सरकार	सदस्य
6	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (1)–शासी निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले नियोक्ताओं के के सदस्यों में से शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
7	कर्मचारियों के प्रतिनिधि (1)–शासी निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के सदस्यों में से शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
8	क्षेत्रीय निदेशक, ई एस आई सी, बिहार	सदस्य
9	राज्य चिकित्सा पदा०, ई एस आई सी, बिहार	सदस्य

9. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के नियमावली और विनियमावली एवं संगम ज्ञापन पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी के नियमावली और विनियमावली एवं संगम ज्ञापन के प्रारूप पर दिनांक–15.03.2024 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक की मद संख्या–55 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.3.2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग